फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

भूपेन्द्र कुमार **बनाम** श्योलाल

किस्म मुकदमा:–212 आर.टी.ए. प्रकरण संख्या:–47/2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.03.2020	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस वकील उभय पक्ष दिनांक 04.03.2020 को सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम से वाके चक 9 एसजीआर के खाता संख्या 124/104 के प0नं0 25/310(43) के कि0नं0 1,2,9 ता 12, 20,21 की 1.910 हैक्टर नहरी खाला रकबा दर्ज रिकार्ड है जिसमें प्रार्थी का 0.939 हैक्टर व अप्रार्थी सं0 1 का 0.318 है0 एवं अप्रार्थी संख्या 3 का 0.318 है0 व अप्रार्थी संख्या 4 मृतक देवीलाल का 0.238 है0 अप्रार्थी संख्या 5 व 6 का 0.239 है0 अप्रार्थी संख्या 7 मृतक नारायण का 0.239 है0 रकबा दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी का जैरवाद रकबा चुन्नीराम पुत्र जगमाल से जरिये बैयनामा खरीदशुदा है खरीद के समय से ही जिस स्थान पर चुन्नीराम का कब्जा था उस स्थान पर प्रार्थी को चुन्नीराम द्वारा मौका पर कब्जा संभलवा दिया गया था। प्रार्थी का कब्जा काश्त मौका पर तहसील सूरतगढ़ के वाके चक 9 एसजीआर के प0नं0 25/310 के कि0नं0 21/0.239 है0 रकबा पर है प्रार्थी का जैरवाद रकबा पर खरीद के समय ही उक्तानुसार कब्जा काश्त है। प्रार्थी ने अपने खरीदशुदा रकबा चक 9 एसजीआर के प0नं0 25/310 के कि0नं0 21 के 0.239 है0 रकबा भारी खर्चा से सुधार किया है। अप्रार्थीगण प्रार्थी को उसके कब्जा काश्त रकबा वाके चक 9 एसजीआर के प0नं0 25/310 के कि0नं0 21/0.239 हैक्टर रकबा से बेदखल करने पर उतारू है। यदि अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे मूल वाद पत्र के निर्णय तक जैरप्रकरण भूमि वाके तहसील सूरतगढ़ की चक 9 एसजीआर के खाता संख्या 124/104 के प0नं0 25/310(43) के कि0नं0 21/0.239 है0 भूमि प्रार्थी के कब्जा काश्त वाली में अप्रार्थीगण ना तो स्वयं दखलदांजी करें व ना ही किसी अन्य से करावें तथा मौका यथास्थिति बनाये रखें। वकील अप्रार्थीगण ने बताय कि रकबा संयुक्त खाता का है। संयुक्त खाता में प्रत्येक काश्तकार का प्रत्येक ईंच पर कब्जा माना जाता है। यदि प्रार्थी को विशिष्ट किला दर्शाते हुए स्थगन दे दिया तो दावा बेसुद हो जावेगा। प्रार्थना पत्र मय कोस्ट खारिज किया जावे। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में अंकित भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 के नाम संयुक्त खाता में दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा विशिष्ट किला पर स्थगन चाहा गया है। लेकिन संयुक्त खाता में प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक ईंच पर कब्जा माना जाता है। इसलिये उक्त प्रकरण में विशिष्ट किला पर स्थगन जारी किया जाना हम उचित नही समझते है। किन्तु अप्रार्थीगण उक्त रकबा में से विशिष्ट किलाजात दर्शाते हुए भूमि का रहन, बैय एवं हस्तातंरण नही करने हेतु पाबंद किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा.0पत्र आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह प्रा0पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आंशिक स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वे जैरवाद भूमि में विशिष्ट हिस्सा दर्शाते हुए बेचान/हस्तातंरण आदि ना करें। इसी अनुसार पूर्व में जारी अंतरिम टी0आई0 में भी संशोधन किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (मनोज कुमार मीणा) उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.07.10 16:01:00 IST
Reason: SelfAttested